राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025–26/अलेसे–II/ 81 दिनांकः–14.07.2025

आदेश संख्याः– 351/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 249/1988 लिंक नं. 1731 जन्मतिथि 02.07.1967) का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में अपराध संख्या 92/2013 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पंजीबद्ध होने एवं विभागीय आदेश क्रमांक 9243–9252 दिनांक 14.03.2013 द्वारा दिनांक 10.03.2013 से निलम्बित किये जाने कारण पदोन्नति नतीजे का बन्द लिफाफा किये जाने की अनुशंषा की गई थी। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नही किये गये।

विभागीय आदेश संख्या 43/2014–15 दिनांक 28.06.2016 द्वारा श्री राजकुमार मोदी को निलम्बन से बहाल किये जाने एवं इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में दर्ज अपराध संख्या 92/2013 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2024 द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप इनकी पदोन्नति लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के पद पर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–3600 (दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे–4200) में स्थानापन्न रूप से की जाती है। इनकी वरिष्ठता श्री शक्तिसिंह (248/88) एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (252/88) के मध्य रहेगी।

श्री मोदी उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II में क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें।

श्री राजकुमार मोदी को लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के पद पर चयन वर्ष 2013–14 से इस आदेश की पालना में इस आदेश दिनांक तक पदोन्नति पद का वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा। वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से ही देय होंगे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025–26/अलेसे–II/ 81 दिनांकः–14.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कार्मिक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)